

**भारत सरकार, रेल मंत्रालय**  
**रेल भर्ती सेल, मध्य रेल**  
सीपीएम कन्वर्जन कार्यालय भवन, पी. डी.मेलो रोड, वाडीबंदर, मुंबई – 400 010.

रोजगार सूचना संख्या आरआरसी/सीआर/02/2022 दिनांक 26.11.2022

“वर्ष 2022-23 के लिए खुले विज्ञापन खेल कोटा के तहत भर्ती”

1. मध्य रेल वर्ष 2022-23 के लिए मध्य रेल में स्पोर्ट्स कोटा (आइटम 2 में) के 21 पदों को भरने के लिए योग्य खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, जो भारत के नागरिक हो। ये पद समुदाय पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए खुले हैं। एससी/एसटी/ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसके अलावा, केवल परिक्षण में योग्य उम्मीदवारों को ही आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।

अनुसूची

ऑनलाइन आवेदन के लिए खुलने की तिथि और समय	28.11.2022 को 10.00 बजे.
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और समय	12.12.2022 को 18.00 बजे.

2. पदों का डिसिप्लिनवार विवरण

(क) लेवल 5/4 (7वें सीपीसी)

क्रम	खेल का नाम	पुरुष/महिला	इवेंट/स्थिति	पदों की संख्या
01	मुक्केबाजी	पुरुष	60 / 80 / 86 / 92 कि.ग्रा.	01
02	हॉकी	पुरुष	गोल कीपर / ऑल राउंडर	01
03	भारोत्तोलन	पुरुष	47 / 52 / 57 / 63 कि.ग्रा.	01
कुल				03

(ख) लेवल 3/2 (7वें सीपीसी)

क्रम	खेल का नाम	पुरुष/महिला	इवेंट/स्थिति	पदों की संख्या
01	एथलेटिक्स	पुरुष	5000 मीटर / 10000 मीटर	01
02	एथलेटिक्स	महिला	5000 मीटर / 10000 मीटर / 3000 मीटर स्टीपल चेंस	01
03	बास्केटबाल	पुरुष	प्ले मेकर / ऑल राउंडर / सेंटर	01
04	बास्केटबाल	महिला	पीवोट / पॉइंट गार्ड / फॉरवर्ड	01
05	क्रिकेट	महिला	स्पिन्नर / बल्लेबाज / मीडियम पेसर	01
06	साइकिलिंग	पुरुष	1 कि.मी / 4 कि.मी लक्ष्य	01
07	कबड्डी	महिला	ऑल राउंडर / लेफ्ट कॉर्नर/ राइट कवर	01
08	खो - खो	पुरुष	ऑल राउंडर	01
09	भारोत्तोलन	महिला	66 / 74 कि.ग्रा.	01

क्रम	खेल का नाम	पुरुष/महिला	आयोजन/स्थिति	पदों की संख्या
10	टेबल टेनिस	पुरुष	सिंगल्स / डबल्स	01
11	टेबल टेनिस	महिला	सिंगल्स / डबल्स	01
12	व्हॉलीबॉल	पुरुष	यूनिवर्सल / सेंटर / लिब्रो / ऑल राउंडर	01
13	व्हॉलीबॉल	महिला	यूनिवर्सल / सेटर / लिब्रो / ऑल राउंडर / ब्लॉकर	02
14	भारोतोलन	पुरुष	61 / 67 / 102 कि.ग्रा.	01
15	भारोतोलन	महिला	45 / 49 / 64 / 71 / 81 / 87 / 89 + कि.ग्रा.	02
16	कुश्ती (ग्री.रो)	पुरुष	82 / 130 कि.ग्रा.	01
कुल				<b>18</b>

**नोट:** लेवल 5/4 के खेल मानदंड वाले खिलाड़ी जो लेवल 3/2 के लिए आवेदन करते हैं, तो उन खिलाड़ियों को केवल 3/2 के लेवल में विचार किया जाएगा और परीक्षण के समय, उन्हें यह घोषणापत्र जमा करना होगा कि रेलवे में शामिल होने के बाद खेल उपलब्धि के आधार पर उच्च लेवल के वेतन के लिए दावा नहीं करेगी/करेगी।

यदि उपर्युक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण लेवल 5/4, (पावरलिफ्टिंग (पुरुष), मुक्केबाजी (पुरुष) और हॉकी (पुरुष)) में रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं, तो ऐसी रिक्तियां उसी खेल से लेवल 3/2 में भरी जाएंगी।

### 3. पात्रता की शर्तें

#### 3.1 आयु सीमा

01/01/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष । 01/01/1998 और 01/01/2005 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच जन्में हुए उम्मीदवारों को ही आवेदन करना चाहिए। 31/12/1997 को या उससे पहले जन्म लेने वाले उम्मीदवार पात्र नहीं हैं। इसी तरह, 02/01/2005 को या उसके बाद पैदा हुए उम्मीदवार भी पात्र नहीं हैं। (किसी भी समुदाय के उम्मीदवार के लिए कम या ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट नहीं।)

### 3.2 शैक्षिक योग्यता:

लेवल	शैक्षिक योग्यता
5/4	न्यूनतम स्नातक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में।
3/2	12 वीं (+2 स्टेज) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा या मैट्रिकुलेशन साथ में कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटीसशिप उत्तीर्ण या मैट्रिकुलेशन प्लस एनसीवीटी / एससीवीटी द्वारा अनुमोदित आईटीआई उत्तीर्ण।  नोट : 1) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के वैकल्पिक उच्च योग्यता नहीं माना जाएगा।
<p><b>नोट: (I)</b> क्लर्क-सह-टाइपिस्ट की श्रेणी में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को टाइपिंग प्रवीणता 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में या 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में नियुक्ति की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर प्राप्त करनी होगी और इस समय तक इस श्रेणी में उनकी नियुक्ति स्थायी होगी।</p> <p><b>(II)</b> उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को परीक्षण के समय स्नातक/स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।</p>	

### 3.3. खेल उपलब्धियां/पात्रता मानदंड

#### क लेवल 5/4 के लिए

क	ओलंपिक खेलों (सीनियर श्रेणी) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या
ख	विश्व कप (जूनियर/युवा/ सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान या
ग	विश्व चैंपियनशिप (जूनियर/सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान या
घ	एशियाई खेलों (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान या
ङ	राष्ट्रमंडल खेलों (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान या
च	युवा ओलंपिक में कम से कम तीसरा स्थान या
छ	चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी) में कम से कम तीसरा स्थान

ख

लेवल 3/2 के लिए

क	विश्व कप (जूनियर/युवा/सीनियर) में प्रतिनिधित्व या	
ख	विश्व चैंपियनशिप (जूनियर/सीनियर)में प्रतिनिधित्व या	
ग	एशियाई खेलों (सीनियर) में प्रतिनिधित्व या	
घ	राष्ट्रमंडल खेलों (सीनियर) में प्रतिनिधित्व या	
ङ	युवा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया या	
च	डेविस कप (टेनिस) में प्रतिनिधित्व या	
छ	चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी) में प्रतिनिधित्व या	
ज	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (जूनियर/सीनियर)में कम से कम तीसरा स्थान	या
झ	एशियाई चैंपियनशिप/एशिया कप (जूनियर/सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान या	
ञ	दक्षिण एशियाई संघ खेलों (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान या	
ट	यूएसआईसी (विश्व रेलवे) चैंपियनशिप (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान या	
ठ	विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में कम से कम तीसरा स्थान या	
ड	सीनियर/युवा/जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान या	
ढ	भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम से कम तीसरा स्थान	या
ण	एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के तत्वाधान में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान या	
त	फेडरेशन कप चैंपियनशिप(सीनियर श्रेणी)में प्रथम स्थान	

3.3 कतिपय विषयों के लिए अतिरिक्त स्वीकार्य खेल उपलब्धियां योग्यता मानदंड जैसा नीचे दिया गया

है:

### 3.4.1 एथलेटिक्स (पुरुष/महिला)

राष्ट्रीय इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रदर्शन पर भी ग्रेड पे रु. 1900 (लेवल-2) पे बैंड में 5200-20200।

### 3.4.2 क्रिकेट (महिला)

1) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, टेस्ट मैच में या सीमित ओवरों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में या ट्वेंटी -20 ओवर के मैच में मुख्य भारतीय सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व; पर भी लेवल 3/2. में भर्ती के लिए भी विचार किया जाएगा।

2) राष्ट्रीय स्तर पर, बीसीसीआई के तत्वावधान में आयोजित 4 दिनों/एक दिवसीय सीमित ओवरों/ट्वेंटी-20 ओवर महिला क्रिकेट चैंपियनशिप में निम्नलिखित खेल उपलब्धियों पर भी; लेवल-2 में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा।

क्र.	चैंपियनशिप का विवरण	श्रेणी	लेवल 3/2 में भर्ती के लिए न्यूनतम खेल उपलब्धि
i)	अखिल भारतीय अंतरराज्यीय एलीट या प्लेट समूह चैंपियनशिप	सीनियर/युवा (अंडर-23) / जूनियर (अंडर-19)	एलीट ग्रुप चैंपियनशिप के सेमीफाइनलिस्ट
ii)	अखिल भारतीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप	सीनियर/जूनियर (अंडर-19)	ऑल इंडिया नॉकआउट चरण के सेमीफाइनलिस्ट
iii)	अखिल भारतीय इंटर जोनल चैंपियनशिप	सीनियर/जूनियर (अंडर-19)	फाइनलिस्ट

### 3.4.3 हॉकी (पुरुष):

लेवल 3/2 में भर्ती के लिए चार या अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट (सीनियर या जूनियर) में भाग लेने पर भी विचार किया जा सकता है, या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में सेमीफाइनलिस्ट पर भी विचार किया जा सकता है।

इस विज्ञापन के तहत खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आरएसपीबी द्वारा मान्यता प्राप्त जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की सूची				
क्र.	खेल का नाम	श्रेणी	मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप का विवरण	
			आयु समूह	चैंपियनशिप का नाम
01	एथलेटिक्स	पुरुष/ महिला	अंडर-20	जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप
02	बास्केटबाल	पुरुष/ महिला	अंडर-18	जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप

03	मुक्केबाज़ी	पुरुष	अंडर-17-18	यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप
04	क्रिकेट	महिला	अंडर-19	इंटर स्टेट ऑल इंडिया नॉक आउट / इंटर स्टेट जोनल टूर्नामेंट (एक दिवसीय लिमिटेड ओवर चैंपियनशिप)
			अंडर-19	ऑल इंडिया इंटर जोनल टूर्नामेंट (एक दिवसीय लिमिटेड ओवर चैंपियनशिप)
05	साइकिलिंग	पुरुष	अंडर-19	नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप (सभी आयु समूहों के लिए)
			अंडर-19	नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप (सभी आयु समूहों के लिए)
06	हॉकी	पुरुष	अंडर-21	जूनियर (अंडर-21) नेशनल हॉकी चैंपियनशिप
07	कबड्डी	महिला	अंडर-19	जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप
08	खो-खो	पुरुष	अंडर-19	जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप
09	पावर लिफ्टिंग	पुरुष / महिला	अंडर-23	जूनियर नेशनल पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप
10	टेबल टेनिस	पुरुष / महिला	अंडर-17	जूनियर और यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप
11	व्हॉलीबॉल	पुरुष / महिला	अंडर-19	जूनियर नेशनल व्हॉलीबॉल चैंपियनशिप
12	भारोत्तोलन	पुरुष / महिला	अंडर-20	जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप
13	कुश्ती (ग्रीको रोमन)	पुरुष	अंडर-20	जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप

**नोट :**

- 1) उपरोक्त सभी चैंपियनशिप मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य खेल संघों के तत्वावधान में और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- 2) खेल प्रदर्शन का निर्धारण 01/04/2020 को या उसके बाद आयोजित खेल आयोजनों में भागीदारी के आधार पर किया जाएगा।

**4. चयन प्रक्रिया**

खुली भर्ती के सभी पात्र उम्मीदवारों को परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा और परीक्षण के बाद, भर्ती के अगले चरण के लिए केवल फिट उम्मीदवारों (40 में से 25 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले) का मूल्यांकन किया जाएगा। ट्रायल कमेटी द्वारा जिस अभ्यर्थियों को फिट घोषित नहीं किया है, भर्ती समिति द्वारा उनका आगे का आकलन नहीं किया जायगा।

**5. आवेदन शुल्क:**

(i)	नीचे दिए गए उप-पैरा (ii) में उल्लिखित उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए	रु. 500/- (पांच सौ रुपये मात्र), बैंक शुल्क काटने के बाद 400/- रुपये (केवल चार सौ रुपये) वापस करने के प्रावधान के साथ, जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और वास्तव में परीक्षण में उपस्थित होते हैं।
(ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पूर्व सैनिकों/विकलांग व्यक्तियों/महिलाओं/अल्पसंख्यकों* और आर्थिक पिछड़ा वर्ग** से संबंधित उम्मीदवारों के लिए	रु. 250/- (रु. दो सौ पचास मात्र) के प्रावधान के साथ, जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और वास्तव में परीक्षण में उपस्थित होते हैं, उन्हें बैंक शुल्क काटने के पश्चात वापस करने का प्रावधान है। इस श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। अपात्र, लेकिन फिर भी आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा

- 5.1 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के रूप में शुल्क भुगतान, पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।

- 5.2 आवेदन पत्र में विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करने के बाद, उम्मीदवारों को भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है जिसे ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत किया गया है। उसके बाद कोई परिवर्तन/संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 5.3 भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रदान करके किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा।
- 5.4 लेन-देन के सफल समापन पर, उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई तिथि के साथ ई-रसीद उत्पन्न की जाएगी जिसे उम्मीदवार द्वारा सहेजा / मुद्रित और बनाए रखा जाना चाहिए।
- 5.5 यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो कृपया फिर से ऑनलाइन भुगतान करें ।

## 6. शुल्क छूट:

- अ) आवेदन शुल्क से छूट/वापसी का दावा करने के लिए, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को चयन परीक्षाओं के समय अनुलग्नक-ए' में उल्लेखित 'स्व-घोषणा' प्रस्तुत करनी चाहिए। \*अल्पसंख्यक यानी के मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी।

आवेदन शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी से संबंधित है। यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

- ब) \*\* आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई बी सी) का अर्थ उन उम्मीदवारों से होगा जिनकी पारिवारिक आय रुपये 50,000/- प्रति वर्ष से कम है।

निम्नलिखित प्राधिकरण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ई बी सी) की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं ।

- (i) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
- (ii) अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा सांसद।
- (iii) किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी।
- (iv) केंद्रीय मंत्री देश में कहीं से भी किसी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर सकते हैं।



- (v) राज्य सभा के वर्तमान सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।

ऊपर उल्लिखित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र चयन परीक्षणों के समय प्रस्तुत करने के लिए अनुलग्नक-बी में होना चाहिए।

## 7. ऑनलाइन आवेदन

- 7.1 उम्मीदवारों को [www.rrccr.com](http://www.rrccr.com) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
- 7.2 उम्मीदवारों को खेल कोटे के तहत भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए प्रदान की गई आरआरसी / सीआर वेबसाइट [www.rrccr.com](http://www.rrccr.com) पर लॉग ऑन करना होगा और व्यक्तिगत विवरण / बायो-डेटा आदि को ध्यान से भरना होगा।

**टिप्पणी - I :** उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। पंजीकरण के समय, उम्मीदवारों को 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास आधार संख्या नहीं है और जिन्होंने आधार के लिए नामांकन किया है, लेकिन आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है, वे आधार नामांकन पर्ची पर मुद्रित 28 अंकों का आधार कार्ड नामांकन आईडी प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपर्युक्त प्रावधान जम्मू और कश्मीर, मेघालय और असम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए लागू है। इन राज्यों के आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में अपना वोटर आईडी नंबर/वैध पासपोर्ट नंबर/ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या कोई अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र नंबर दर्ज कर सकते हैं।

चयन परीक्षण के समय उम्मीदवारों को मूल आधार कार्ड या ऊपर उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

**टिप्पणी - II :** उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता और खेल प्रमाण पत्र में दर्ज किये गये मिलानसे बिल्कुल मेल होना चाहिये। दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाए जाने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण इस अधिसूचना के लिए उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, यदि उम्मीदवार ने अपना नाम बदल लिया है तो चयन परीक्षण / दस्तावेज सत्यापन के समय राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज जो लागू हो, जमा किया जाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपने बदले हुए नाम का उल्लेख करना चाहिए। हालांकि, अन्य विवरण शैक्षिक/जन्म तिथि/खेल प्रमाणपत्रों से मेल खाना चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए।

**टिप्पणी** - III : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपने सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आई डी को इंगित करें और उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण संदेश ईमेल/एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे जिन्हें माना जाएगा कि उम्मीदवारों द्वारा पढ़ा और समझा गया है ।

7.3 नाम/पिता का नाम/समुदाय/फोटो(चेहरा)/शैक्षणिक और/या तकनीकी योग्यता आदि जैसे विभिन्न विवरणों के साथ या अलग-अलग ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर के साथ एक ही लेवल (खेल) के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऐसे सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

7.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान, प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों / आरआरसी के साथ पत्राचार के लिए अपनी पंजीकरण संख्या को संरक्षित / नोट करें।

**टिप्पणी** -1: अंतिम दिनों के दौरान, उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें, ताकि इंटरनेट पर भारी लोड या वेबसाइट जाम के कारण आरआरसी/सीआर की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में संभावित अक्षमता/विफलता से बचा जा सके।

**टिप्पणी** -2: उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से उम्मीदवारों के अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा नहीं कर पाने के लिए आरआरसी / सीआर किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता है।

7.5 उम्मीदवार को किसी भी आवेदन का प्रिंटआउट या प्रमाण पत्र या प्रतियां डाक द्वारा आरआरसी सीआर को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही विचार किया जाएगा, जो बाद की तारीख में होने वाले सत्यापन के अधीन है। प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में भरे गये विवरण में किसी भी स्तर पर कोई भी विसंगति पायी जाती है तो उम्मीदवार अयोग्य माना जायेगा।

7.6 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन का प्रिंटआउट ले लें, जिसे चयन परीक्षण के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

#### **8. स्कैन की गई फोटो/फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी**

उम्मीदवारों को अपना रंगीन फोटोग्राफ (आकार 3.5 से मी x 3.5 से मी, जो आवेदन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप, 100 डीपीआई, फाइल का आकार 20 केबी - 70 केबी के बीच होना चाहिए) अपलोड करना आवश्यक है। बिना

टोपी और धूप के चश्मे के उम्मीदवार के सामने का स्पष्ट दृश्य आवश्यक है। उम्मीदवार ध्यान दें कि आरआरसी/सीआर किसी भी स्तर पर पुरानी/अस्पष्ट तस्वीर अपलोड करने या आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ और उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक उपस्थिति के बीच किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बाद में दस्तावेज़ सत्यापन के समय लाने के लिए उसी तस्वीर की दो अतिरिक्त प्रतियां अपने पास रखें।

9. स्कैन किए गए हस्ताक्षर/हस्ताक्षर की छवि की सॉफ्ट कॉपी

उम्मीदवारों को अपने हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे (आकार 3.5 से मी x 2.5 से मी, जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए) स्कैन किय गये हस्ताक्षर ब्लॉक / केपिटल असंबद्ध पत्र में नहि होना चाहिये।

10. सहायता केंद्र/हेल्प डेस्क

ऑनलाइन आवेदन जमा करने और प्रिंट करने में किसी भी समस्या के लिए, उम्मीदवार ई-मेल के माध्यम से sports@rrccr.com पर प्रश्न भेज सकते हैं।

11. महत्वपूर्ण निर्देश

11.1 उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करें: - उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर तय की जाएगी। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी / गलत है या उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छुपाई है या उम्मीदवार अन्यथा पद के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

11.2 ट्रायल के दिन जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता और खेल उपलब्धि आदि के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके बिना उन्हें ट्रायल में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्र के साथ अंग्रेजी / हिंदी में एक सत्यापित अनुवाद होना चाहिए। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। चयन ट्रायल में शामिल होने के लिए कोई टीए/डीए/आवास नहीं दिया जाएगा। आवेदकों को अपनी किट और चार पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाने होंगे। उन्हें सिलेक्शन ट्रायल के दौरान 2-3 दिनों तक रुकना भी पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। रेलवे प्रशासन के पास किसी भी तारीख/स्थान को तय करने या परीक्षण स्थगित करने या

अप्रत्याशित कारणों से रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं, जिसके खिलाफ कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 11.3 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को संक्षिप्त सूचना पर परीक्षण आदि के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को मध्य रेलवे में कहीं भी तैनात किया जाएगा।
- 11.4 आमतौर पर, एक रेल सेवक को उस रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में अपनी पूरी सेवा के दौरान नियोजित किया जाएगा, जिसमें वह पहली नियुक्ति पर तैनात है और किसी अन्य रेलवे या अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में उसका कोई दावा नहीं होगा। सेवा की अत्यावश्यकताओं में, तथापि, यह सक्षम प्राधिकारी के लिए खुला होगा कि वह रेल सेवक को भारत में या उसके बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या मंडल/इकाई या रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है।
- 11.5 चयनित उम्मीदवारों को पद के लिए जहां भी प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है, वहां प्रशिक्षण लेना होगा। चयनित पुरुष उम्मीदवार जिन्हें अंतिम रूप से नियुक्त किया गया है, वे प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियर्स युनिट में सक्रिय सेवा के लिये उत्तरदायी हैं।
- 11.6 प्रारंभिक नियुक्ति पर परिलब्धियां वेतन के स्तर का न्यूनतम वेतन और उस समय स्वीकार्य अन्य भत्ते होंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल लागू होने पर वजीफा (स्टायपेंड) का भुगतान किया जाएगा। उम्मीदवारों को जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा जमा राशि देनी होगी और क्षतिपूर्ति बॉन्ड निष्पादित करना होगा।
- 11.7 इस अधिसूचना में दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अंतिम है और रेलवे प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद में घट सकती है या शून्य भी हो सकती है। रेल प्रशासन अपने विवेक पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 11.8 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित की जाने वाली उनकी अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाण पत्र के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त / चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- 11.9 उम्मीदवारों को उन्हें आवंटित पद के लिए उपयुक्त चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- 11.10 एक से अधिक गेम/इवेंट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को अलग-अलग शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन जमा करने होंगे।

- 11.11 वे उम्मीदवार, जो पहले से ही पीएसयू/सरकारी संगठनों की सेवा में हैं और उपरोक्त के लिए पात्र हैं, उन्हें परीक्षण के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- 11.12 भर्ती के सभी चरणों में उम्मीदवार का प्रवेश विशुद्ध रूप से अस्थायी होगा, बशर्ते कि वह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। उम्मीदवार को केवल कॉल लेटर जारी करने का यह मतलब नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी गई है।
- 11.13 स्तर 5/4 के लिए खेल मानदंड रखने वाले और स्तर 3/2 के लिए रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ियों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, रेलवे में शामिल होने से पहले खेल उपलब्धियों के आधार पर रेलवे में शामिल होने के बाद वह स्तर 5/4 के लिए दावा नहीं करेगा।
- 11.14 मान्यता प्राप्त संघों/संघों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए गए टीम/ग्रुप/रिले इवेंट के लिए खिलाड़ियों को प्रमाणपत्र इस भर्ती के लिए विचाराधीन घटना में खेल के क्षेत्र में वास्तविक भागीदारी को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए। मैचों का विवरण और परिणाम, यदि कोई हो, भी दिया जाना है।
- 11.15 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय 5 वर्ष का "सर्विस बॉन्ड" जमा करना होगा।
- 11.16 स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्ती किए गए खिलाड़ी को सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा, यदि उसके द्वारा भर्ती के लिए दी गई जानकारी और दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत / नकली पाए जाते हैं।
- 11.17 उम्मीदवारों का चयन रोजगार के लिए तभी किया जाएगा जब वे सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन टीम के लिए फिट होंगे।
- 11.18 पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति आदि से संबंधित सभी मामलों में चयन समिति / प्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

## **12. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज (पठनीय होने चाहिए)**

12.1 अधिसूचना के पैरा 3.2 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंक पत्र/प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष की स्कैन की गई प्रति।

12.2 01/04/2020 को या उसके बाद आयोजित मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धि के प्रमाण में प्रमाण पत्र।

- 12.3 जन्म तिथि के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र (एसएससी प्रमाण पत्र या जन्म तिथि इंगित करने वाली मार्कशीट या जन्म तिथि इंगित करने वाला स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र) ।
- 12.4 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति, जहां भी लागू हो, जैसा कि नीचे पैरा 14.3 में निर्धारित है।

Railway Recruitment Cell  
Central Railway

### 13. अमान्य आवेदन/अस्वीकृति

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले सभी निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें; अन्यथा उनके आवेदन निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से अस्वीकार किए जा सकते हैं।

- 13.1 बड़े अक्षरों में स्कैन किए गए हस्ताक्षर/स्कैन किए गए हस्ताक्षर के बिना आवेदन।
- 13.2 स्कैन फोटो के बिना आवेदन।
- 13.3 स्कैन किए गए फोटो के साथ आवेदन लेकिन काले चश्मे पहने हुए या टोपी या विकृत / छोटे आकार या पहचानने योग्य नहीं।
- 13.4 आवेदन जमा करने की तिथि पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक और खेल योग्यता नहीं होना।
- 13.5 अधिक आयु या कम आयु, जन्म तिथि नहीं भरी गई या गलत तरीके से भरी गई।
- 13.6 अभ्यर्थी का नाम विवर्जित सूची में आना।
- 13.7 एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन/विभिन्न विवरण।
- 13.8 रुपये के आवेदन शुल्क के बिना आवेदन। 500/- या रु. 250/-, जहां लागू हो या कम शुल्क।
- 13.9 दो या दो से अधिक आयोजनों / खेलों के लिए एकल आवेदन।
- 13.10 किसी अन्य प्रकार की अनियमितताएं।

### 14. सामान्य शर्तें:

- 14.1 किसी भी रूप में प्रचार करने से उम्मीदवार अयोग्य हो जाएगा।
- 14.2 उम्मीदवारों को उचित प्राधिकारी से उचित प्रोफार्मा में जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के प्रारूप में प्राप्त करने और चयन परीक्षण के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, ऐसा न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों के सत्यापन पर ब्रोशर (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) के अध्याय 13 के अनुसार इसकी सख्त आवश्यकता है।
- 14.3 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की ज़ेरॉक्स कॉपी, तहसीलदार के पद से नीचे नहीं है,

ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड की जानी चाहिए। ओबीसी उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा 01/04/2022 को या उसके बाद जारी केंद्र सरकार के प्रारूप में ओबीसी नॉन-क्रीमी-लेयर प्रमाणपत्र भी अपलोड करेंगे। प्रमाणपत्रों में जाति, जारी करने की तिथि आदि शामिल होनी चाहिए और जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक 'सी' के रूप में और ओबीसी के लिए अनुलग्नक "डी" के रूप में संलग्न है।

(एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप आरआरसी/सीआर वेबसाइट: [www.rrccr.com](http://www.rrccr.com) पर भी उपलब्ध है)

## 15. अन्य मामले

- 15.1 उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चयन परीक्षण के समय उसे अपने डाउनलोड किए गए आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। भर्ती के आगे के चरण में किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा और भर्ती के किसी भी स्तर पर पात्रता शर्तों/शर्तों को पूरा नहीं करने वाले किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार आरआरसी/सीआर के पास सुरक्षित है।
- 15.2 रेलवे प्रशासन द्वारा उम्मीदवार का चयन पद के लिए उम्मीदवार को कोई निर्देशात्मक अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- 15.3 यदि पते में कोई परिवर्तन होता है, तो उम्मीदवार को अपने हित में संबंधित डाकघर के साथ संचार को पुराने से नए पते पर पुनर्निर्देशित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
- 15.4 उम्मीदवारों की पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त पास जारी करना, झूठी सूचना के लिए दंड, चयन का तरीका, परीक्षण का संचालन, चयनित उम्मीदवारों को पदों के आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में रेल प्रशासन द्वारा किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 15.5 डाक में देरी या गलत वितरण के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। इ-मेल या एस एम एस भेजने में किसी भी देरी के लिये रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। उम्मीदवारों को अपने स्पैम इ-मेल फोल्डर में भी जांच करनी चाहिये।
- 15.6 नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को चयनित पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।



- 15.7 रेल प्रशासन भर्ती के किसी भी चरण में अनजाने में हुई त्रुटि या चूक को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है और किसी भी गलती से नियुक्त उम्मीदवार को रेलवे सेवा से सरासरी तौर पर हटाया जा सकता है।
- 15.8 व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।
- 15.9 मौजूदा नियमों के अनुसार इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों में बाद में किया गया कोई भी परिवर्तन मान्य रहेगा। आरआरसी इस अधिसूचना के तहत आवश्यक और लागू होने पर भर्ती के नियमों और शर्तों में किसी भी बाद के किए गए परिवर्तन / संशोधन / परिवर्धन को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**16. कानूनी मामले**

इस रोजगार सूचना से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मामला केवल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुंबई के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा।

## 17. महत्वपूर्ण सलाह

रेलवे भर्ती सेल, मध्य रेलवे ने अपनी ओर से किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर को कार्रवाई के लिए नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के लालच में न आएं।

नोट: खेल कोटे के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों को कम से कम 5 साल की अवधि के लिए खेल के अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करना होगा। सेवा के पहले दो वर्षों (परिवीक्षा अवधि) के दौरान उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि प्रदर्शन सही नहीं पाया जाता है, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

सार्वजनिक सेवा में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक गंभीर मामला है। आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे पूरी गंभीरता से लें। आवेदकों द्वारा किसी भी तरह की गलत सूचना देकर या अश्लील/आपत्तिजनक तस्वीर या मामले को अपलोड करके शरारत करके प्रक्रिया में हेरफेर करने के किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाएगा और वे अन्य प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा अपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

अध्यक्ष

रेलवे भर्ती सेल,  
मध्य रेलवे

संलग्न: अनुलग्नक 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी'

अनुलग्नक 'ए'

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि मैं ..... धर्म से सम्बन्धित हूँ। जो कि अल्पसंख्यक समुदाय है। इसलिए, मैं आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट चाहता हूँ। मैं एतद् द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा" का हलफनामा प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ, यदि मैं उपयुक्त पाया जाता हूँ।

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

अनुलग्नक 'बी'

पत्र संख्या ई (आरआरबी)/2009/25/21 दिनांक 28/10/2009 के पैरा 3 के अनुसार पत्र शीर्ष पर जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रारूप।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.बी.सी.) की परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में छूट हेतु वर्ष 2022-23 का आय प्रमाण पत्र।

1. उम्मीदवार का नाम :
2. पिता / पति का नाम :
3. आयु :
4. आवासीय पता :
5. वार्षिक पारिवारिक आय :  
(अंकों में और शब्दों में)
6. जारी करने की तिथि :
7. हस्ताक्षर :

\_\_\_\_\_

(प्राधिकार पत्र जारी करने के नाम)

जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर

## अनुलग्नक 'सी'

### अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\* .....

पुत्र/पुत्री\*.....निवासी ग्राम/कस्बा\* ..... जिला/संभाग \*  
..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ..... के .....

जाति/जनजाति से सम्बंधित है जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

- संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.....
- संविधान (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951\*.....
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित।
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976\* द्वारा यथा संशोधित
- संविधान(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
- संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
- संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996.
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन ) अधिनियम, 2002
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन ) अधिनियम, 2002
- संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन ) अधिनियम, 2002

%2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गये हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी \* .....के माता/पिता श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम/कस्बा\*.....जिला/संभाग ..... राज्य / संघराज्य क्षेत्र ..... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो .....जाति/जनजाति से सम्बंधित है जो .....दिनांक ..... द्वारा जारी..... राज्य / संघराज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या\* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा\* ..... जिला/संभाग\*..... राज्य / संघराज्य क्षेत्र ..... में रहता है।

हस्ताक्षर .....  
\*\*पदनाम .....  
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान .....

दिनांक .....

(\* ) जो शब्द लागू ना हो उसे काट दें।

(@)राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

(%) जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

\*\* जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी की सूची:-

- जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपयुक्त/अतिरिक्त उपयुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टायपंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के निचे का ना हों।
- क्षेत्र का सब-डिविजनल ऑफिसर जहां अभ्यर्ती और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलिय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुलग्नक 'डी'

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\* ..... श्री/श्रीमती के पुत्र/पुत्री ..... गांव के ...../ नगर\* ..... जिले में ..... राज्य ..... का है ..... समुदाय जिसे ..... के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। .....: (उप-जाति को दर्शाता है)

- 1) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी (सी) दिनांक 10 सितंबर 1993, भारत के राजपत्र-असाधारण-भाग 1 खंड 1, संख्या 186 दिनांक 13 सितंबर 1993 में प्रकाशित।
- 2) संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर 1994, भारत के राजपत्र - असाधारण - भाग 1 खंड 1, संख्या 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित।
- 3) संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24 मई 1995, भारत के राजपत्र - असाधारण - भाग 1 खंड 1, संख्या 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित।
- 4) संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6 दिसंबर 1996, भारत के राजपत्र - असाधारण - भाग 1 खंड 1, संख्या 210 दिनांक 11 दिसंबर 1996 में प्रकाशित।
- 5) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 129 दिनांक 8 जुलाई 1997।
- 6) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी-असाधारण संख्या 164 दिनांक 1 सितंबर 1997।
- 7) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी - असाधारण संख्या 236 दिनांक 11 दिसंबर 1997।
- 8) संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 239 दिनांक 3 दिसंबर 1997।
- 9) संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 166 दिनांक 3 अगस्त 1998।
- 10) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 171 दिनांक 6 अगस्त 1998।
- 11) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी-असाधारण संख्या 241 दिनांक 27 अक्टूबर 1999।

- 12) संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 270 दिनांक 6 दिसंबर 1999।
- 13) संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 71 दिनांक 4 अप्रैल 2000।

श्री/श्रीमती/कुम\*..... और/या उसका/उसका \*परिवार आमतौर पर ..... में रहता है। ..... जिले के ..... । राज्य। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह\* कॉलम 3 (भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुसूची के कार्यालय जापांक 36012/22/93- में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। स्था (एससीटी) दिनांक 8/9/1993) और भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन द्वारा संशोधित। संख्या 36033/3/2004/स्था.(आरईएस) दिनांक 09.03.2004।

(\* ) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

जिला अधिकारी/  
उप. आयुक्त आदि  
(कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान .....

दिनांक .....

(\* ) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

क) "आम तौर पर निवास करते हैं" शब्द का वही अर्थ होगा जो लोगों के प्रतिनिधित्व की धारा 20 में है। अधिनियम, 1950।

ख) जहां प्रमाण पत्र केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं, वे एक ही रूप में होने चाहिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट या उप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। आयुक्त (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र और जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त द्वारा प्रमाणित पर्याप्त नहीं हैं)

ग) केवल अधिकारियों से ओबीसी प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा: -

1 जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उपायुक्त। कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)/\* उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

2 मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

3 राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों।

उस क्षेत्र के

4 अनुमंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।